HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369
Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi- 110 019
Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida-201 304, UP, India
Telefax: +91 11 26436336
Website: www.hctech.com; E-mail ID: investors@hcl.com

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, notified by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") on September 7, 2016, and amended from time to time ("Rules"), all shares in respect of which dividend(s) remain unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years shall be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority (the "IEPF DEMAT Account") within 30 days from the due date of transfer.

The shares in respect of the dividends declared by the Company as per the details below are lying unpaid/unclaimed as on date and are due to be transferred to the IEPF DEMAT Account:

Dividend Particu l ars	Date of declaration of Dividend	Date of completion of seven years	Date of transfer of shares to IEPF DEMAT Account (30 days from Due Date)
Final Dividend (2010-2011)	02-Nov-2011	02-Dec-2018	01-Jan-2019
1st Interim Dividend (2011-12)	18-Oct-2011	17-Nov-2018	17-Dec-2018

All benefits accruing on such shares e.g. bonus issue, split, consolidation, fraction shares, etc. except right issue shall also be credited to the IEPF DEMAT Account.

The Company has uploaded on its website https://www.hcltech.com/investors/iepf-details the details, including the Names and Folio number / DP ID - Client ID, of the shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF DEMAT Account. The Company is also sending individual notices to such shareholders at their latest available addresses with the Company / Registrar and Share Transfer Agent (*RTA*).

Shareholders may note that both the unpaid / unclaimed dividend(s) and the corresponding shares transferred to the IEPF DEMAT Account including all benefits, if any, accruing on such shares after the date of transfer to the IEPF DEMAT Account can be claimed from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are due for transfer to the IEPF DEMAT Account, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF DEMAT Account in accordance with the prescribed Rules and upon such issue, the original share certificate(s) registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Shareholders may also note that, necessary Corporate Action shall be initiated by the Company to transfer the shares to the EPF DEMAT Account.

The shareholders are requested to write to the Company at HCL Technologies Limited, 14th Floor, Tower 6, Plot No. 3A, Sector 126, Noida-201 304 on or before the respective due dates for making a valid claim for the unpaid / unclaimed dividend(s). In case no valid claim has been made, the said shares will be transferred to IEPF DEMAT Account by the due date as per the procedure stipulated in the Rules.

For HCL Technologies Limited

Manish Anand Company Secretary



Date: August 24, 2018 Place: Noida (U.P.)

एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सीआईएन : L741400L1991PLC046369 पंजीकृत कार्यालय : ८०६, सिद्धार्य, ९६, नेडरू प्लेस, नई दिल्ली-११० ०१९ कॉपेरिट कार्यालय : प्लाट नं, ३ए, सेक्टर-१२६, नोएडा-२०१ ३०४, उ.प्र., भारत टेलिफेक्स: +९१ ११ २६४३६३३६ वेक्साइट: <u>www.hctech.com</u>, ई-मेल आईडी: <u>investors@hct.com</u>

इक्वीटी शेयरघारकों के लिए सूचना

इक्वीटी शेयरों का विनिधानकर्ता शिक्षा और सरक्षण निधि में अंतरण

यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') की धारा १२४ (६) के प्रावधानों और कोंपेरिट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के द्वारा अधिसूचित किये गये, विनिधानकर्ता मिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम २०१६ ('नियम'), जिनकी प्रभावी तिथि ७ सितंबर २०१६ है और जो समय-समय पर संशोधित किये गये हैं, के नियम ६ के अनुसार, जिन शेयरों के लगातार सात वर्षों तक लाभांश असंदत्त व अदावाकृत हैं, वे सभी शेयर विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के डीमैट खाते में नियत तिथि के ३० दिनों के अंदर अंतरित कर दिए जाएंगे।

कंपनी द्वारा नीचे दिये घोषित लामांश जो अभी तक असंदत्त व अदावाकृत है, इनसे संबंधित सभी शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में निचे दिये गये विवरण के अनुसार अंतरण के लिए योग्य है।

लामांश का विवरण	लाभांश घोषणा की तिथि	सात वर्ष पूर्ण होने की तिथि	आईईपीएफ डीमैट साते में शेयर अंतरन की तिथि (देय तिथि से ३० दिन)
अंतिम लामांश (२०१०-११)	०२-नवम्बर-२०११	०२-दिसम्बर-२०१८	०१-जनवरी-२०१९
1st अंतरिम लाभांश (२०११-१२)	१८-अक्टुबर-२०११	१७-नवम्बर-२०१८	१७-दिसम्बर-२०१८

ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभ जैसे बोनस इश्यू, विभाजन, समेकन, अंश शेयर, इत्यादि (राइट इश्यू को छोड़कर) भी आईईपीएफ डीमैट खाते में जमा किये जाएंगें।

कम्पनी की वेबसाइट https://www.hc/lech_com/investors/lepf-details पर ऐसे श्रेयरधारक जिनके श्रेयरों पर लगातार सात वर्षों तक लाभांग असंदत्त व अदावाकृत हैं, उनके नाम, फोलियों संख्या या डीपी आईडी-क्लाईन्ट आईडी के साथ उनके पूरे विवरण अपलोड कर दिये गये हैं। कम्पनी द्वारा इन श्रेयरधारकों को उनके कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं श्रेयर ट्रांस्फर एजेंट ('आस्टीए') के पास दर्ज हुए नवीनतम पते पर व्यक्तिगत सूचना भी भेजी जा रही है।

शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि असंदत्त व अदावाकृत लाभांश और आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित संबंधित शेयर, सभी लाभों के साथ, यदि कोई हो, आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरण के बाद भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया से आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस लिए जा सकते हैं।

संबंधित श्रेयरधारक, जो भौतिक रूप में श्रेयर रखते है और जिनके श्रेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित होने वाले हैं कृपया ध्यान दें कि, कम्पनी, नियमानुसार आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरण के लिए मूल श्रेयर प्रमाण-पत्र के बदले डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करेगी और डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद, श्रेयरधारकों के नाम पंजीकृत मूल श्रेयर प्रमाण-पत्र अपने-आप रद्द हो जाएंगे और इन्हें लेन-देन योग्य नहीं माना जाएंगा।

शेयरधारक यह भी ध्यान रखें कि आईईपीएफ डीमैट खाते में शेयर अंतरित करने के लिए कंपनी आवश्यक कॉरपोरेट कार्यवाई प्रारंभ करेगी।

शेयरधारकों से आग्रह है कि असंदत्त व अवावाकृत लाभांश पर वैध वावा करने के उद्देश्य से संबंधित देय तिथि या इस के पहले कम्पनी को इसके पते, १४वीं मंजिल, टॉवर ६, प्लॉट नं. ३ए, सेक्टर १२६, नोएडा-२०१३०४ पर लिखें। यदि इस संबंध में कोई वैध वावा नहीं किया जाता है तो संबद्ध शेयर उल्लिखित अकिया के नियम अनुसार नियत तिथि तक आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे।

कृते एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

तिथि : अगस्त २४, २०१८ स्थान : नोएडा (उ.प्र.) मनीष जानंद कम्पनी सचिव

